

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी :- सुनील कुमार चौहान, आर.ए.एस.

GCMS NO- 2025/88

प्रार्थना पत्र :- 33/2025

उनवान - देव कुमार सिंह पुत्र बाग सिंह उम्र 64 वर्ष जाति राजपुत निवासी ढाणी बाढान तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं।

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार खेतड़ी


अधिवक्ता प्रार्थी - श्री पाबुदानसिंह निर्वाण

आदेश

निर्णय दिनांक 06/11/25

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र, आधार कार्ड, पहचान पत्र, जन आधार कार्ड, आयकर विभाग का पैन कार्ड, ग्राम पंचायत मानोता जाटान तथा तहसीलदार खेतड़ी के क्रमांक भू.अ./25/1314 दिनांक 30.05.2025 के द्वारा स्पष्ट अभिशंषा के आधार पर, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम ढाणी बाढां पटवार मण्डल जसरापुर की जमाबंदी संवत् 2075 से 2078 के खाता सं. 86 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर तहसीलदार खेतड़ी को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते ह। खाते की शेष प्रविष्टियां यथावत रहेगी। रहन यदि कोई हो तो रहन मुक्त होने पर ही आदेश का अमल दरामद हो।

क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1.	रामनगर	खाता संख्या 86 के खसरा नम्बर 562 रकबा 0.70 है.	देवीसिंह पुत्र बागसिंह	देव कुमार सिंह पुत्र बाग सिंह



(सुनील कुमार चौहान)

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी
दिनांक :- 06/11/2025

क्रमांक :- राजस्व/2015/346

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार खेतड़ी को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
- 2- देव कुमार सिंह पुत्र बाग सिंह उम्र 64 वर्ष जाति राजपुत निवासी ढाणी बाढान तहसील तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं को सूचनार्थ।


उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहा.कलक्टर, खेतड़ी